न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 43/2013

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
जीताराम पुत्र दुर्गाराम जाति राठौड सिरवी निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली		1. मेगाराम जाति राठौड सिरवी निवासी करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत करमावास पट्टा तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/02/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, करमावास पट्टा द्वारा मिसल संख्या 03/2002–2003 संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.03.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 438 दिनांक 05.07.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जैर निगरानी पट्टा अपने नाम से जारी करवाया गया है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूखण्ड केवलचन्द पुत्र कुन्दनमल का था, जिसे प्रार्थी एवं उसके पिता दुर्गाराम द्वारा संयुक्त रूप से केवलचन्द से दिनांक 30.12.1969 को रूपये 700/– में क्रय किया था। उक्त बेचान नाम उप पंजीयक सोजत से पंजीबद्ध है। वकत खरीद से ही उक्त मकान पर प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके पिता का कब्जा था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से उकत मकान में निवारा करते है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की है। न तो पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा न ही आपत्ति आमन्त्रित की गई। ग्राम पंचातय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि भीखीदेवी ने दिनांक 22.05.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2002 को अर्थात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के एक वर्ष पश्चात मिसल दायर की। न तो कोई मौका नक्शा तैयार किया गया एवं न ही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधि अनुसार आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। आपत्ति इश्तिहार दिनांक 20.01.2003 को जारी किया गया, जबकि इस दिनांक को पंचायत की बैठक ही नहीं हुई। चूंकि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी थी, इसलिए अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, करमावास पट्टा द्वारा मिसल संख्या 03/2002–2003 संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.03.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 438 दिनांक 05.07.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22.05.2001 को सरपंच ग्राम पंचायत करमावास पट्टा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया तथा वांछित भूमि के पडौस भी अंकित किये। इस प्रार्थना पत्र पर सरपंच द्वारा सचिव को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.05.2002 को मिसल दर्ज रजिस्टर की गई। इसके पश्चात दिनांक 05.08.2002 की आदेशिका अनुसार तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के जरिये किन वार्ड पंचो को नियुक्त किया, यह अंकन नहीं है। उक्त आदेश की पालना में जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट मिसल के संलग्न है, उस पर दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 05.09.2002 को रिपोर्ट तलब होने पर निर्णय हेतु पत्रावली आगामी बेठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात दिनांक 20.01.2003 को नियमानुसार पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात दिनांक 05.01.2004 को किसी प्रकार का ऐतराज प्रस्तुत नहीं होने के कारण 2 गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 05.02.2004 को गवाह टीकमराम एवं होमाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.03.2004 को नियम 157 (क) के तहत पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 05.07.2004 को अपील अवधि गुजरने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया।

मिसल की आदेशिकाओं को ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण से मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि मिसल की आदेशिका दिनांक 05.03.2004 को आदेशिका अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 2 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश दिये, जबकि बैठक कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार मिसल संख्या 3/02–03 मेगाराम पुत्र दुर्गाराम सिरवी में प्रपत्र 22 जारी करने के निर्देश जारी किये गये। इस प्रकार मिसल की कार्यवाही एवं कोरम द्वारा पारित प्रस्ताव में भिन्नता है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 05.03.2004 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 157 (क) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। यह मिसल की आदेशिका से मिलान करता है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.01.1970 के अनुसार उक्त मकान केवलचन्द पुत्र कनणमल जाति वीनायकीया ओसवाल निवासी करमावास द्वारा दुर्गाराम पुत्र सादुलजी, जीताराम, मेगाराम पि0 दुर्गाराम को बेचान करना जाहिर किया। उक्त बेचान दस्तावेज उप

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंजीयक सोजत से पंजीबद्ध है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि है, जिसका पट्टा मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, करमावास पट्टा द्वारा मिसल संख्या 03/2002–2003 संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.03.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 438 दिनांक 05.07.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत करमावास पट्टा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली